


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/

दिनांक

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक: राजपत्रित/डी.पी.सी./2018/586 दिनांक 17.09.2018 के द्वारा क्रम संख्या 42 पर डॉ. शैलेश सिंह, चिकित्सा अधिकारी, जन्मतिथि 10.12.1989 को 01 वर्ष का परीक्षाकाल दिनांक 11.08.2018 को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर रनिंग पे बेण्ड स्वीकृत की गयी थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पत्र क्रमांक 13423 दिनांक 16.10.2018 के द्वारा अवगत कराने पर कि सेवाभिलेख के अनुसार चिकित्सक का नाम डॉ. शैलेश सिंघल है, अतः उक्त आदेशो में संशोधन करते हुए डॉ. शैलेश सिंघल, चिकित्सा अधिकारी, जन्मतिथि 10.12.1989 पढी जावे।



निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/ 652

दिनांक 14/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन, जोधपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
3. डॉ. शैलेश सिंघल, चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी, सर्वर रूम को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रभारी, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर